JEEVIKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
3rd Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph.: +91-612-250 4980; Fax: +91-612-250 4960, Website : www.brlps.in

Ref No: BRLPS/PROJ-F7/497/14/VOL-VI/3462 **Date:** 03.10.2023

कार्यालय आदेश

(PMJJBY एवं PMSBY के अंतर्गत दावा निष्पादन करवाने हेतु विशेष अभियान)

जीविका परियोजना के द्वारा समूह के सदस्यों को बीमा के अंतर्गत आच्छादित करने हेतु व्यापक कार्य किया गया है | इसका मकसद है कि महिलाओं एवं उनके परिवार को किसी अनहोनी की स्थिति में एक सामाजिक सुरक्षा का कवच मिल सके। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 44.33 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 47.87 लाख समूह की महिलाओं ने अपना बीमा करवाया | यही संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 53.86 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 58.88 लाख हो गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में भी समूह सदस्यों का बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत समूह सदस्यों द्वारा से करवाया जा रहा है | उपरोक्त आकड़े इस बात के साक्षी है कि समूह की महिलाएं अब बीमा के महत्व को समझ रही है तथा इसके दायरे के विस्तार हेतु निरंतर प्रयासरत है | सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समूह की महिलाओं के विश्वास को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि किसी अनहोनी (साधारण मृत्यु / दुर्घटना मृत्यु / पुर्ण एवं आंशिक अपंगता) की स्थिति में बीमा का लाभ उनके परिवार को ससमय उपलब्ध करवाया जाए। **वर्तमान में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है की दावा निष्पादन हेतु किये जाने वाले प्रयासों को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है।**

सामाजिक सुरक्षा के लाभ को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि दावों के निष्पादन पर लगातार विशेष ध्यान दिया जाए | इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 05/10/2023 से लेकर दिनांक 31/10/2023 तक एक विशेष अभियान चलाया जायेगा तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सभी दावों (Settled and Pending both) की सूची वित्तीय वर्ष वार तैयार की जायेगी एवं दावे के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा | चूँकि समूह सदस्यों का बीमा वित्तीय वर्ष 2021 - 22 से बैंकों के माध्यम से आच्छादित करवाया जा रहा है अतः इस सूची में वित्तीय वर्ष 2021 - 22 से लेकर अभी तक के तमाम दावों (Claims) की सुचना एकत्र करनी है | इस सूची का प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ **अनुलग्नक - क** के रूप में संलग्न है | प्रत्येक प्रखंड क्रियान्वयन इकाइयों से यह अपेक्षित है की उक्त सूची सभी क्लस्टर अथवा पंचायत स्तर पर सामुदायिक संगठकों एवं सम्बंधित बैंक मित्रों की सामूहिक बैठक बुलवाते हुए तैयार करेंगे | **सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक उपरोक्त विवरण को क्लेम एप्प (CLAIM APP) में अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे |**

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को यह निदेशित है कि अनुलग्नक - क से सम्बंधित आकड़ों को 31 अक्टूबर 2023 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे |

उपरोक्त सभी कार्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ को ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने एवं दावा निष्पादन हेतु सभी स्तरों पर गतिशीलता लाने हेतु अति - आवश्यक है | उपलब्ध करवायी गयी विस्तृत जानकारी के सापेक्ष में विभिन्न बैंकों के समन्वय स्थापित करते हुए मृत्यु दावे के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा | अतः यह निदेशित है कि इस अभियान को ससमय पूरा किया जाए |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है |

संलग्नक:

1. अनुलग्नक - क

03/10/23

(राहुल कुमार भा०प्र० से०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि

1. समस्त परियोजना कर्मी
2. सभी संकुल संघ

अनुलग्नक - क

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक के सभी दावों का विवरण									
जिला का नाम:									
क्र० स०	प्रखंड	मृत/अपंग सदस्य का नाम (जिनका बैंकों के माध्यम से बीमा हुआ था)	बैंक तथा शाखा का नाम (जहाँ से बीमा हुआ था)		दावा का प्रकार (कृप्या टिक का निशान लगायें)		मृत्यु/अपंगता का सम्बंधित वित्तीय वर्ष (2021 -22, 2022 - 23, 2023 - 24)	दावा निष्पादन का वित्तीय वर्ष (अगर हुआ है तो) (2021 -22, 2022 - 23, 2023 - 24)	दावा निष्पादन की राशि
			बैंक का नाम	शाखा का नाम	PMJJBY	PMSBY			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

नोट: अगर सदस्य का बीमा PMJJBY एवं PMSBY दोनों के अंतर्गत हुआ था और उनकी मृत्यु दुर्घटना कारणों से हुई है उस परिस्थिति में दोनों योजनाओं (PMJJBY एवं PMSBY) के अंतर्गत मृत्यु दावा किया जा सकता है |